रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 8 नवम्बर, 2014 ई० (कार्तिक 17, 1936 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

11 सितम्बर, 2014 ई0

सं0 वाई0 ई0 ए0/भूलेख/2014/324–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है–

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2014

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–(1) यह विनियमावली यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–विनियम संख्या-1 का संशोधन–यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबन्धन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली, 2011 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है में, स्तम्भ-1 में, विनियम-1 में उप विनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
(3) इस विनियमावली का उद्देश्य ऐसी ग्रामीण भूमि को चिन्हित, नियंत्रित, प्रबंधित एवं विनियमित करना और उनके सम्बन्ध में वैकल्पिक उपाय करना है जिस पर 30 जून, 2011 को और उक्त विनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक पर ग्रामीण आबादी स्थल के	(3) (क) इस विनियमावली का प्रयोजन ऐसी ग्रामीण भूमि को चिन्हित, नियंत्रित, प्रबंधित एवं विनियमित करना और उसके सम्बन्ध में वैकल्पिक उपाय करना है जिस पर 31 दिसम्बर, 2012 को आबादी विद्यमान रही हो। यदि अधिसूचना भूमि अर्जन

स्तम्भ–1 विद्यमान उप विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
रूप में निरन्तर विद्यमान रही हो। इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम सभा भूमि पर भी होगा जो, राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की गई हो और औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गई हो तथा जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो।	अधिनियम, 1894 की धारा 4 या भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 के अधीन दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के पश्चात् जारी की गयी हो, तो ऐसी दशा में उक्त धारा 4 व 11 के अधीन अधिसूचना का दिनांक इस उद्देश्य के लिए प्रभावी दिनांक होगा और उक्त भूमि को आबादी भूमि समझा जायेगा। (ख) इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम सभा भूमि पर भी होगा जो राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गयी हो और जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो। ग्राम सभा भूमि के मामले में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 व्यवच्छेदन दिनांक होगा। यदि पुनर्ग्रहण दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के पश्चात् किया गया है तो खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिसूचना का दिनांक निश्चायक दिनांक होगा। (ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के बाद और खण्ड (क) में निर्दिष्ट दिनांक को विद्यमान उन्हीं निर्माणों पर लीज बैक हेतु विचार किया जायेगा जो प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद बनाये गये हैं। इस प्रयोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि जो क्षेत्र/भूमि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थित है लेकिन अधिग्रहीत नहीं है, उसे भी मास्टर प्लान तैयार कर उसमें कतिपय उपयोगों–यथा आवासीय, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि हेतु नक्शा रेखांकन पास कर अनुमोदन प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।

विनियम-2 का संशोधन–उक्त विनियमावली में, विनियम-2 में, उपविनियम-1 में,

(क) स्तम्भ-1 मे, दिये गये खण्ड (ङ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ङ) परिवार का तात्पर्य कृषक परिवार से है जिसकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई हो अथवा अर्जित की जानी प्रस्तावित हो तथा वह प्राधिकरण के गठन से पूर्व प्राधिकरण व अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी हो। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी न होने की दशा में नौएडा प्राधिकरण की स्थापना के दिनांक 17-04-1976 को या उक्त दिनांक से पूर्व से जिला गौतमबुद्धनगर में वर्तमान में सम्मिलित ग्राम का मूल निवासी हो तथा उसका नाम वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में दर्ज हो। कृषक (पति/पत्नी व अवयस्क संतान) को कृषक का परिवार माना जायेगा तथा उसके वयस्क पुत्र/पुत्रों के	(ङ) 'परिवार' का तात्पर्य ऐसे कृषक के परिवार से है, जिसकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी हो अथवा अर्जित की जानी प्रस्तावित हो तथा वह प्राधिकरण के गठन से पूर्व प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी हो। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र का मूल निवासी न होने की दशा में नोएडा प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को या उक्त दिनांक से पूर्व से जिला गौतमबुद्धनगर में वर्तमान में सम्मिलित ग्राम का मूल निवासी हो तथा अन्य जनपद की दशा में सम्बन्धित जनपद के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित होने के दिनांक को उस जनपद के

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
परिवार को इस विनियमावली के उद्देश्य के लिए पृथक्-पृथक् परिवार माना जायेगा।	अधिसूचित क्षेत्र का निवासी हो तथा उसका नाम वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में दर्ज हो। पति/पत्नी व उनके अवयस्क सन्तान को कृषक का परिवार माना जायेगा तथा उसके वयस्क पुत्र/पुत्रों के परिवार को इस विनियमावली के उद्देश्य के लिए पृथक्-पृथक् परिवार माना जायेगा। परन्तु यह कि अन्य जनपद की दशा में सम्बन्धित जनपद के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित होने के दिनांक को उस जनपद के अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के प्रार्थना-पत्रों पर केवल उसी जनपद के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

(ख) स्तम्भ-1 में, दिये गये खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(झ) ग्रामीण आबादी स्थल का तात्पर्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से है जो 30 जून, 2011 को और उक्त विनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को इस रूप में आवासीय प्रयोजन हेतु निरन्तर उपयोग में लाये जा रहे है या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से है जो इस विनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग किये जा रहे हैं और इस रूप में दिनांक 30 जून, 2011 को निरन्तर उपयोग किये जा रहे हैं इस विनियमावली का विस्तार ऐसी ग्राम सभा भूमि पर भी होगा जो राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग के निवर्तन पर रखी गई हो तथा जिस पर किसी व्यक्ति ने निवास स्थान बनाया हो।	(झ) "ग्रामीण आबादी स्थल" का तात्पर्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से है जो विनिमय 1.3 के अधीन आवासीय प्रयोजन के उपयोग में लाई जा रही हो।

(ग) स्तम्भ-1 में, दिये गये खण्ड (ठ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ठ) सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी ग्रामीण आबादी के स्थल को चिन्हित करने की प्रक्रिया से है और उसमें सेटेलाइट से प्राप्त चित्र वास्तविक स्थलीय भौतिक निरीक्षण और नक्शा तैयार करना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अधीन सर्वेक्षण का कार्य, स्थिर या वीडियों फिल्म तैयार किया जाना और ऐसी अन्य बातें सम्मिलित हैं जो ग्रामीण आबादी स्थल के चिन्हीकरण के लिए आवश्यक हैं।	(ठ) "सर्वेक्षण" का तात्पर्य ग्रामीण आबादी स्थल को चिन्हित करने की प्रक्रिया से है।

4–विनियम-4 का संशोधन–उक्त विनियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1

विद्यमान विनियम

ग्रामीण आबादी स्थलों के चिन्हीकरण इत्यादि हेतु समिति का गठन–

प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसे ग्रामीण आबादी स्थलों के चिन्हीकरण नियंत्रण इत्यादि से सम्बन्धित मामलों की समिति कहा जायेगा। उपरोक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी –अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित जिले का अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0अ0) –सदस्य

(ग) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि जो उपजिलाधिकारी स्थर से अन्यून न हो–सदस्य

(घ) सचिव/प्रशासनिक अधिकारी/उप जिलाधिकारी –सदस्य

(ङ) महाप्रबन्धक (वित्त) –सदस्य

(च) महाप्रबन्धक (नियोजन/वास्तुकला) –सदस्य

(छ) महाप्रबन्धक/विशेष कार्यधिकारी (परियोजना) –सदस्य

(ज) तहसीलदार यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण –सदस्य

(झ) प्रबन्धक (विधि)

स्तम्भ–2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

4–ग्रामीण आबादी स्थलों के चिन्हीकरण इत्यादि हेतु समिति का गठन–

(1) प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसे ग्रामीण आबादी स्थलों के चिन्हीकरण, नियंत्रण इत्यादि से सम्बन्धित मामलों की समिति कहा जायेगा।

(2) उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

क	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष
ख	सम्बन्धित जनपद के अपर जिला अधिकारी (भू0अ0)	सदस्य
ग	सम्बन्धित क्षेत्र एवं जनपद के उपजिलाधिकारी	सदस्य
घ	प्राधिकरण के तहसीलदार/डिप्टी/कलेक्टर /सचिव/प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
ङ	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि	सदस्य
च	महाप्रबन्धक (वित्त)	सदस्य
छ	महाप्रबन्धक (नियोजन/वास्तुकला)	सदस्य
ज	महाप्रबन्धक/विशेष कार्यधिकारी (परियोजना)	सदस्य
झ	प्रबन्धक (विधि)/सहायक विधि अधिकारी	सदस्य

1–भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 या भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 का प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व किस सीमा तक क्षेत्रफल अर्जन से मुक्त रखा जायेगा, के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2–भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 या भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 के अधीन अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त एवं भूमि का कब्जा हस्तान्तरण से पूर्व तक अर्जन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होने पर, किस सीमा तक क्षेत्रफल अर्जन प्रक्रिया से पृथक् रखा जाना है, के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	3–अर्जन प्रक्रिया पूर्ण होकर भूमि का कब्जा प्राप्त हो जाने के उपरान्त कितना क्षेत्रफल पट्टा प्रलेख (लीज बैंक) के माध्यम से सम्बन्धित भू–स्वामी को वापस किया जाना है, के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति का परीक्षण कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी तथा प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त लीज बैंक/पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

5–विनियम-5 का संशोधन–उक्त विनियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
5–समिति के कृत्य–विनियम–4 के अधीन गठित समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे– (क) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त ग्रामीण आबादी स्थलों का चिन्हीकरण करना। (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड को यह संस्तुति करना कि औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रस्ताव में कौन सा ग्रामीण आबादी स्थल पृथक् किया जाना चाहिए।	**5–समिति के कृत्य**–विनियम–4 के अधीन गठित समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे– (क) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त ग्रामीण स्थलों का चिन्हीकरण। (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले अर्जन प्रस्ताव से पृथक् रखे जा सकने वाले ग्रामीण आबादी स्थलों की संस्तुति। (ग) पूर्व से प्रारम्भ अर्जन प्रक्रिया में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्जन प्रक्रिया से अवमुक्त रखे जा सकने वाले ग्रामीण आबादी स्थलों की संस्तुति। (घ) भूमि के अर्जनोपरान्त व कब्जा हस्तान्तरण के उपरान्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी की विनियमित किये जा सकने वाले ग्रामीण आबादी स्थलों की संस्तुति। (ङ) विनियम 3 के अन्तर्गत किये गये सर्वेक्षण की तिथि के उपरान्त ग्रामीण आबादी स्थल के अग्रतर विस्तार को सीमित व नियंत्रित करने हेतु समुचित संस्तुति व सुझाव प्रस्तुत करना जिसमें पेरिफेरल बाउण्ड्री आदि का निर्धारण सम्मिलित हो, परन्तु इस बिन्दु तक ही सीमित न हो। (च) सुनियोजित विकास के हित में ग्रामीण आबादी स्थल के पेरिफेरल बाउण्ड्री के बाहर स्थित आबादी स्थलों को पेरिफेरल बाउण्ड्री के अन्दर पुनः विनियमित करने की संस्तुति। (छ) विवादित आबादी स्थल व अन्य प्रकरण, जो प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित किये जायें, के निस्तारण हेतु संस्तुति।

6–विनियम-6 का संशोधन–उक्त विनियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम-6 में उपविनियम-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
(1) विनियम 4 में गठित समिति ग्रामीण आबादी स्थल जिसे अर्जन से मुक्त रखा जा सकता है, के बारे में अपनी संस्तुति मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति को प्रस्तुत करेगी– (क) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी –अध्यक्ष (ख) प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य –सदस्य (ग) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अपरजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य	(1) (निकाल दिया गया)

7–विनियम-7 का संशोधन–उक्त विनियमावली में विनियम-7 में,

(क) स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम-(1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपविनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
(1)–ऐसा व्यक्ति जिसकी भूमि प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई है और उस भूमि का विनियमितीकरण किया जाना है मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उसके आवेदन-पत्र पर इस विनियमावली के अधीन या उसके अनुसार विनियम 4 में गठित समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा और निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।	(1)–कोई क्षुब्ध व्यक्ति जिसका आबादी स्थल प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया जा चुका है और उसके द्वारा ऐसी भूमि के विनियमितीकरण हेतु आवेदन किया जाना है तो उस दशा में वह व्यक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सम्मुख शपथ-पत्र के साथ लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसे व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उसके आवेदन-पत्र पर इस विनियमावली के विनियम 4 में गठित समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा और निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी– (क) प्राप्त आवेदनों का सम्पूर्ण परीक्षण करना और इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करना। (ख) कार्यवाही का निर्णय करने के पश्चात् प्रत्येक मामले में सम्बन्धित स्थल/प्लाट के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करना। (ग) यह निर्णय करना कि स्थल पर किसी समस्या या विवाद का निपटारा क्या विधिपूर्ण हस्तान्तरण द्वारा या किसी अन्य रीति से सम्भव है ?

स्तम्भ—1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
	(घ) इसकी स्थिति के आधार पर क्या इसे विनियमित करते हुए इसके वास्तविक कब्जे को बहाल करना उचित है।
(2) इस विनियमावली के अधीन आवंटित किये जाने वाले आवासीय स्थल के अधिकतम क्षेत्र की सीमा आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजन के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि के बराबर होगी दिनांक 31-12-2011 तक विनियमतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा 5000 वर्गमीटर प्रति परिवार तथा दिनांक 31-12-2011 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में 1500 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी।	(2) इस विनियमावली के अधीन आवंटित किये जाने वाले आवासीय स्थल के अधिकतम क्षेत्र की सीमा आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजन के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि के बराबर होगी दिनांक 30 जून, 2011 तक विनियमतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा पांच हजार वर्गमीटर प्रति परिवार तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में 1500 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी। दिनांक 01 जुलाई, 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के मध्य उत्पन्न हुए आबादी प्रकरणों में लीज बैक की अधिकतम सीमा 3000 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी।

(ख) स्तम्भ—1 में दिये गये उपविनियम—(8) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
7(ख)—समिति द्वारा अपनी आख्या निम्नवत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे— • संबंधित जनपद के जिलाधिकारी —अध्यक्ष • संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक —सदस्य • अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण —सदस्य/संयोजक • अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण —सदस्य • उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण —सदस्य • महाप्रबन्धक (नियोजन/परियोजना/वित्त), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण —सदस्य	(8) विनियम 4 में उल्लिखित समिति ही इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संस्तुति प्रस्तुत करेगी। 1—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 या भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 का प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व किस सीमा तक क्षेत्रफल अर्जन से मुक्त रखा जाना है, के संबंध में समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। 2—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 या भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 के अधीन अधिसूचना निर्गत करने के उपरान्त एवं भूमि का कब्जा हस्तान्तरण से पूर्व तक अर्जन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होने पर, किस सीमा तक क्षेत्रफल अर्जन प्रक्रिया से पृथक् रखा जाना है, के संबंध में समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
	3–अर्जन प्रक्रिया पूर्ण होकर भूमि का कब्जा प्राप्त हो जाने के उपरान्त कितना क्षेत्रफल लीज बैक/पट्टा प्रलेख के माध्यम से संबंधित भू–स्वामी को वापस किया जाना है, के संबंध में समिति की संस्तुति का परीक्षण कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी तथा प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त लीज बैक/पट्टा प्रलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम-(11) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
(11) लीज हेतु भूमि की अधिकतम सीमा आवेदक द्वारा आवासीय या अनुषांगिक उपयोग में लायी जा रही भूमि के बराबर होगी। दिनांक 31–12–2011 तक विनियमतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा 5000 वर्गमीटर प्रति परिवार तथा दिनांक 31–12–2011 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में 1500 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी।	(11) इस विनियमावली के अधीन आवंटित किये जाने वाले आवासीय स्थल के अधिकतम क्षेत्र की सीमा आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजन के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि के बराबर होगी। दिनांक 30 जून, 2011 तक विनियमतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम सीमा पांच हजार वर्गमीटर प्रति परिवार तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के बाद प्रस्तुत आवेदन के प्रकरणों में 1500 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी। दिनांक 01 जुलाई, 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 के मध्य उत्पन्न हुए आबादी प्रकरणों में लीज बैक की अधिकतम सीमा 3000 वर्गमीटर प्रति परिवार होगी।

8–विनियम-8 का संशोधन–उक्त विनियमावली में विनियम (8) में स्तम्भ-1 में दिये गये उप विनियम-(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा–प्रतिस्थापित उपविनियम
(2)–समिति के विचारार्थ प्रत्येक ग्राम के मामलों की सूची सचिव द्वारा तैयार की जायेगी। समिति प्रत्येक मामले की जांच और छान-बीन करेगी और समिति या समिति द्वारा गठित कोई उपसमिति स्थल/भूखण्डों का निरीक्षण करेंगी और संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टियों को देख सकती है और स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् समिति भूखंण्डों को परिवर्तित करने पर विचार कर सकती है और वह सामान्य रीति में ऐसा कर सकती है।	(2)–समिति के विचारार्थ प्रत्येक ग्राम के समस्त प्रकरणों की सूची सचिव/संयोजक द्वारा तैयार की जायेगी। समिति प्रत्येक प्रकरण की जांच और छान–बीन करेगी। समिति या समिति द्वारा गठित कोई उपसमिति स्थलों/भूखण्डों की स्थानीय जांच करेगी और संबंधित अभिलेखों में प्रविष्टियों की जांच कर सकती है। स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् समिति भूखण्ड को परिवर्तित करने पर विचार कर सकती है, जैसा कि इस प्रकार किया जा सकता है।

पी० सी० गुप्ता,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

NOTIFICATION

Lucknow: dated, September 11, 2014

No. YEA/LAND/2014/324--In exercise of the powers under sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of the 1976) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the Yamuna Expressway Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the Yamuna Expressway Industrial Development Authority Rural Abadi sites (Management and Regularization) Regulations, 2011.

YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY RURAL ABADI SITES (MANAGEMENT AND REGULARIZATION) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2014

1. Short title and commencement--(1) These regulations may be called Yamuna Expressway Industrial Development Authority Rural Abadi sites (Management and Regularization) (First Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of regulation-1--In the Yamuna Expressway Industrial Development Authority Rural Abadi sites (Management and Regularization) Regulations, 2011 hereinafter referred to as the said regulations in regulation-1 for sub-regulation (3) set out in Column-1 below the sub-regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1 *Existing Sub-regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
(3) The purpose of these regulation is to identify, control, manage, regularise and take alternative measures regarding such rural land on which Abadi existed on June 30, 2011 and continues as rural abadi site as on the date of commencement of these regulations. This regulation shall also extend to such Gram Sabha Land which has been resumed by the Revenue Department in favour of Authority and kept on the disposal of the Industrial Development Department and on which any person has made residential accommodation. In the matter of Gram Sabha Land the cut off date will be June 30, 2011.	(3) (a) The purpose of these regulation is to identify, control, manage, regularise and take alternative measures regarding such rural land on which Abadi existed on December 31, 2012 if the notification under section-4 of the Land Acquisition Act, 1894 or section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) issued after December 31, 2012 in such cases the date of notification issued under section-4 or 11 shall be effective date for this purpose and the land shall be considered to be abadi land. (b) This regulation shall also extend to such Gram Sabha Land which has been resumed by the Revenue Department in favour of the Authority and kept on the disposal of the Industrial Development Department and on which any person has made residential accommodation. In the case of Gram Sabha Land the cut off date will be December 31, 2012. If resumption has been made after December 31, 2012 then the date of notification refered to in clause (a) shall be the conclucive date.

Column-1

Existing Sub-regulation

Column-2

Sub-regulation as hereby substituted

(c) Lease back will be possible only of those constructions which were made after necessary permission in accordance with authority master plan after December 31, 2012 and exist on the date refered to in clause (a) for this purpose it is also required that provision for approval of map/drawing for residential, education and medical etc, be made after preparing master plan for the area/land which is situated under Yamuna Expressway Authority but is not acquired.

3. Amendment of regulation2--In said regulations, in regulation 2 is sub-regulation (1), and for clause (e) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1

Existing clause

(e) "Family" means the family of that farmer whose land has been acquired or proposed to be acquired by the Authority and he is original resident of notified area of the Authority before the establishment of the Authority. In case of non original resident of notified area of the Authority he should be original resident of the village which is now included in district Gautambudh Nagar on April 17, 1976 or before date and his name is included in annual register (Khatoni). Husband/Wife and their minor children will be treated as Farmer's family and his adult son/son's family will be treated as separate family for the purpose of this regulation.

Column-2

Clause as hereby substituted

(e) "Family" means the family of that farmer whose land has been acquired or proposed to be acquired by the Authority and he is original resident of notified area of the Authority before the establishment of the Authority. In case of non original resident of notified area of the Authority he should be original resident of the village which is now included in district Gautambudh Nagar on April 17, 1976 or before date and in the case of other district he is the resident of the notified area of the district concerned on the date of inclusion that district in the Yamuna Expressway Industrial Development Authority and his name is included in annual register (Khatoni). Husband/Wife and their minor children will be treated as Farmer's family and his adult son/son's family will be treated as separate family for the purpose of this regulation:

Provided that in the case of other district applications will be considered in the concerned district but only of those applicants who were residents of notified area of the district on the date of inclusion of that district in the notified area of the Authority.

(b) for clause (i) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1	Column-2
Existing clause	***Clause as hereby substituted***
(i) "Rural Abadi site" means the rural areas used for residential purpose on December 31st, 2012 and continues to be so used on the date of commencement of these regulations or such rural areas as are used for residential purpose as on the date of commencement of these regulations and continues to be used as such on 31st December, 2012. These regulations shall also extend to such Gram Sabha Land which has been resumed by Revenue Department in favour of the Authority and kept on the disposal of Industrial Development Department and on which any person has made residential accommodation.	(i) The "Rural Abadi site" means the rural areas which are being used for residential purpose as mentioned in regulation 1.3.

(c) for clause (l) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1	Column-2
Existing clause	***Clause as hereby substituted***
(l) "Survey" means a process of identifying any rural abadi site and includes, satelite images, actual physical spot inspection and mapping survey conducted under the provisions of Land Acquisition Act, 1894, still or video film and such other things as are necessary for identifying rural abadi site.	(l) "Survey" means a process of identifying any Abadi site.

4. Amendment of regulation-4--In the said regulations for regulation-4 set out in Column-1 below the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1	Column-2
Existing regulation	***Regulation as hereby substituted***
Constitution of Committee for the Rural Abadi Site, identification etc.-	Constitution of Committee for the Rural Abadi Site, identification etc.-
(1) The Authority shall constitute a Committee to be called the committee for matters related to identification, control etc., of rural abadi sites.	(1) The Authority shall constitute a Committee to be called the committee for matters related to identification, control etc., of rural abadi sites.

Column-1 *Existing regulation*	Column-2 *Regulation as hereby substituted*
(2) The Committee shall consist of the following members, namely:	(2) The said Committee shall consist of the following members:
(a) The additional Chief Executing Officer/Deputy Chief Executive Officer .. *Chairman*	(a) Additional Chief Executing Officer/Deputy Chief Executive Officer .. *Chairman*
(b) Additional District Magistrate (Land Acquisition) of Land Acquisition concerning District .. *Member*	(b) Additional District Magistrate (L.A.) of concerning District .. *Member*
(c) Representative of the District Magistrate of concerning District not below the rank of Deputy Collector .. *Member*	(c) Deputy District Collector of the concerned area and District .. *Member*
(d) Deputy Collector/Secretary/Administrative Officer .. *Member*	(d) Tehsildar/ Deputy Collector/ Secretary/ Administrative Officer of the Authority .. *Member/ Organizer*
(e) General Manager (Finance) .. *Member*	(e) Representative of the Senior Superintendent of Police of the concerned District .. *Member*
(f) General Manager (Planning/Architec) .. *Member*	(f) General Manager (Finance) .. *Member*
(g) General Manager/O.S.D. (Project) .. *Member*	(g) General Manager (Planning/ Architecture) .. *Member*
(h) Tehsildar, Yamuna Expressway .. *Member*	(h) General Manager/Senior Executive Officer (Project) .. *Member*
(i) Manager (Law) .. *Member*	(i) Manager (Law)/Assistant Law Officer .. *Member*
	1–Before sending the proposal under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 or section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) the final decision with respect to the matter that up to what extent of the area shall be set at liberty from the acquisition, shall have to be taken by the Chief Executive Officer on the recommendation of the Committee.
	2–During the process of acquisition after the issuance of the notification under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 or section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) and before the taking of possession, the final decision if necessary, with respect to the matter that up to what extent of the area shall be set of liberty from the acquisition shall be taken by the Chief Executive Officer.

Column-1	Column-2
Existing Sub-regulation	***Sub-regulation as hereby substituted***
	3. After the possession has been taken on completion of acquisition process, the Chief Executive Officer shall after examining the recommendations of the Committee regarding the area that should be returned to the land owner through lease deed/lease back, submit his recommendations before the Authority Board and after the approval of the Authority Board the procedure of lease back would be executed.

5. Amendment of regulation-5--In the said regulations for regulation-5–set out in Column-1 below the regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column-1	Column-2
Existing regulation	***Regulation as hereby substituted***
Functions of the Committee--The functions of the Committee constituted under regulation-4 shall be :	5--**Functions of the Committee**--The functions of the Committee constituted under regulation-4 shall be :
(*a*) To identify all rural *Abadi* sites within the Industrial Development Area of Yamuna Expressway.	(*a*) To identify all rural *Abadi* sites within the Industrial Development Area of Yamuna Expressway.
(*b*) To recommend the rural *Abadi* sites which may be excluded while submitting proposals for acquisition of land within the Industrial Development Area to the Board of Authority through Committee headed by Chief Executive Officer.	(*b*) To recommend regarding village *Abadi* land which may be kept sepearate from the acquisition proposal to be sent to the Chief Execuitve Officer for acquisition within the Industrial Development Area.
	(*c*) Recommendations of the Chief Executive Officer regarding village *Abadi* sites which may be set of liberty from the acquisition process beginning from before.
	(*d*) Recommendations to the Chief Executive Officer regarding the rural *Abadi* sites that may be regularized after the land has been acquired and the possession has been taken.
	(*e*) To make suitable recommendations and suggestions for limiting and controlling the further extension of rural *Abadi* site after the date of the survey conducted under regulation-3 including but not limited to drawing of peripheral boundaries etc.

Column-1	**Column-2**
Existing regulation	***Regulation as hereby substituted***
	(*f*) To make recommendations in the interest of planned development for re-allocation of *Abadi* site falling outside the peripheral boundaries of rural *Abadi* site to as area within peripheral boundary.
	(*g*) To make recommendations for settlement of dispute *Abadi* site with anyother matter may be referred to it by the Authority.

6. Amendment of regulation-6--In the said regulations in regulation-6 for sub-regulation (1) set out in Column 1 below the sub-regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column-1	**Column-2**
Existing sub- regulation	***Sub-regulation as hereby substituted***
(1) The Committee constituted under regulation-4 will submit its recommendation about the rural *Abadi* sites which may be released from acquisition to the following Committee constituted under Chairmanship of the Chief Executive Officer:	(2) *Omitted;*
(a) Chief Executive Officer of the Authority .. *Chairman*	
(b) Three Members nominated by the Authority from amongst its Officers ..*Members*	
(c) District Magistrate Gautambudh Nagar or Additional District Magistrate nominated by the District Magistrate, Gautambudh Nagar ..*Member*	

7. Amendment of regulation-7–In the said regulations in regulation-7 (A) for sub-regulations (1) and (2) set out in Column-1 below the sub-regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1	**Column-2**
Existing sub- regulation	***Sub-regulation as hereby substituted***
(1) Any person whose land has been acquired by the Authority and that land is to be regularized may apply in writing to the Chairman of the Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Executive Officer and subject to the bonafide requirement of such person, his application may be considered by the Committee under and in accordance with these regulations or by the Committee constituted under regulation-4 and will be processed as follows :	(1) Any aggrieved person whose *Abadi* land site has been acquired by the Authority and the acquisition is to be made by him and the application for regularization of such land is to be made by him then in such case that person shall submit in writing his application alongwith the affidavit before the Chief Executive Officer. The Committee constituted under regulation-4 may consider his application, keeping in view the bonafide requirement of such person and shall proceed as follows :

Column-1 *Existing sub- regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
	(*a*) To complete examine the applications received and to decide in accordance with the provisions of these regulations. (*b*) To laid down the policy in respect of the concerned site/plot in each case, after deciding the course of action. (*c*) To decide whether the settlement of the problem or dispute in the form therein is possible by lawful transfer, or in any other way. (*d*) Whether upon the basis of its location, it is proper to restore to its original possession by reularising it.
(2) The maximum limit of the residential site to be allotted under this regulation will be equal to the land being used by the applicant in the form of residential purpose. Five thousands square metres per family will be maximum limit for the applicant who applies for regularisation till dated 31-12-2012 and one thousand five hundred square metres per family will be maximum limit for the applicant who applies after dated 31-12-2012.	(2) The maximum limit of the residential site to be allotted under this regulation will be equal to the land being used by the applicant in the form of residential purpose. Five thousands square metres per family will be maximum limit for the applicant who had applied for regularisation on or before June 30, 2011 and on one thousand five hundred square metres per family will be maximum limit for the applicant who applies after dated December 31, 2012. Maximum limit of area to be leased back for *Abadi* cases arising between July 01, 2011 and December 31, 2012 will be 3000 Sq. meters per family.

(B) For sub-regulation (8) set out in Column-1 below the sub-regulations as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1 *Existing sub- regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
(8) The Committee shall submit its report before a Committee which will be constituted as follows : (*i*) Zila Adhikari of the concerned District .. *Chairman* (*ii*) Senior Superintendent Police of the concerned District .. *Member* (*iii*) The Additional Chief Executive Officer, Yamuna Expressway .. *Member/Convener*	(8) Only the Committee mentioned in regulation-4 shall submit its recommendations to the Chief Executive Officer for this purpose– 1--Before sending the proposal under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 or section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) the final decision shall only be taken by the Chief Execuitve Officer on the recommendations of the Committee on the matter that to what extent of the area should be set at liberty from the acquisition.
(*iv*) Additional District Magistrate (Land Acquisition) Yamuna Expressway .. *Member* (v) Deputy Chief Executive Officer, Yamuna Expressway .. *Member* (vi) General Manager (Planning/ Project/Finance) .. *Member*	2--After the issuance of notification under section-4 of the Land Acquisition Act, 1894 or section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) and before the possession has been taken during the acquisition proceeding, the final decision on the matter that to what extent of the area is to be set at liberty shall only be taken by the Chief Executive Officer.

Column-1 *Existing sub- regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
	3--After the completion of the Acquisition proceeding and taking over possession of the land, the Chief Executive Officer shall examine the recommendations of the Committee with respect to the area which will be returned to the land owner through lease back/lease deed and shall submit his recommendations before the Board of the Authority and after the approval there up the action of the execution of the lease back/lease deed shall be taken.

(C) For sub-regulation (11) set out in Column-1 below the sub-regulations as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1 *Existing sub- regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
(11) The maximum limit of land for lease will be equal to the land being used in the form of residential or contingent usage 5000 Sq. mtrs. per family will be maximum limit for the applicant applying for regularisation till dated 31-12-2012 and for the applications presented after 31-12-2012 the limit would be 1500 Sq. mtrs. per family.	(11) The maximum limit of the residential site to be alloted under this regulation will be equal to the land being used by the applicant in the form of residential purpose. Five thousand square metres per family will be the maximum limit for the applicant who had applied for regularisation on or beofore June 30, 2011 and one thousand five hundred square metrers per family will be maximum limit for the applicant who applies after December 31, 2012. Maximum limit of area to be leased back for *Abadi* cases arising between July 01, 2011 and December 31, 2012 will be 3000 Sq. meters per family.

8. Amendment of regulation-8--In the said regulations, in regulation-8 for sub-regulation-2 set out in Column-1 below the sub-regulations as set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1 *Existing sub- regulation*	**Column-2** *Sub-regulation as hereby substituted*
8. A list of matters of each village for the consideration by the Committee shall be prepared by the Secretary. The Committee shall inquire and look into every case and the Committee or any sub-Committee constituted by the Committee shall make local inspection of site/plots and may look into the entries in the connected records and site/plots and after local inspection the Committee may consider to change the plot that it may do in the like manner.	8. A list of matters of each village for the consideration by the Committee shall be prepared by the Secretary/Convenor. The Committee shall inquire and look into every case and the Committee or any sub-Committee constituted by the Committee shall make local inspection of the site/plots and may look into the entries in the connected records and site/plots and after local inspection the Committee may consider to change the plot that it may do in the like manner.

By order,
P. C. GUPTA,
Chief Executive Officer,
Yamuna Expressway Industrial,
Development Authority.

सूचना

सूच्य हो कि हाई स्कूल परीक्षा, 2011 तथा इण्टरमीडिएट 2013 के अंक-पत्रों में मेरा नाम आशुवेन्द्र कुमार सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम आशुवेन्द्र कुमार पटवा है। यह कि आशुवेन्द्र कुमार सिंह व आशुवेन्द्र कुमार पटवा दोनों नाम एक ही व्यक्ति/मेरे हैं। भविष्य में मुझे आशुवेन्द्र कुमार पटवा के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आशुवेन्द्र कुमार पटवा,
पुत्र श्री कामता प्रसाद,
नि0–139-ए, प्रेमनगर,
बड़ा पार्क सीतापुर, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग-8–2014 ई0।
मुद्रक और प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।